छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांकः एफ 16-05/2015/नौ/55-4, नया रायपुर, दिनांक :- 15 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः- प्रदेश के शासकीय सेवको एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने बाबत्।

----00----

राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक विभागीय ज्ञापन दिनांक- 29.04.2017, दिनांक- 27.05.2017, दिनांक- 23.06.2017, दिनांक- 04.08.2017, दिनांक- 11.09.2017, दिनांक- 08.01.2018, दिनांक- 18.01.2018 एवं दिनांक- 26.03.2018 द्वारा राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित विभिन्न निजी चिकित्सालयों को शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु दिनांक- 31.03.2018 तक मान्यता प्रदान की गई थी, के अनुक्रम में, राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु दिनांक- 01.04.2018 से दिनांक- 31.03.2019 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान करता है :-

2) राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रांरभ करने से 48 घंटे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति मे उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3) राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण-पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय मे संबंधित रोगों की जॉच/उपचार/विषय विशेषेज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति में संबंधित-संचालक-सह-अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी

चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेगें। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारंभ करने से 48 घंटे की समय-सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4) उपरोक्त मान्यता निजी अस्पतालों मे प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावें।

5) उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव मे ईलाज में लापरवाही नही की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के. मोटवानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 16-05/2015/नौ/55-4, नया रायपुर, दिनांक :- 15 मई, 2018

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपु।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
9. सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।

15. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट WWW.cghealth.nic.in एवं WWW.cgdme.co.in में अपलोंड करने हेतु।
16. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. निज सहायक, समस्त मंत्री/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
18. सचिव, छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनु.जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
20. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
21. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदपुर/रायगढ़/राजनांदगांव, प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
22. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (छप्ब्), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट- WWW.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।
26. संबंधित चिकित्सालय..
....
....
....
....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
27. स्टाफ फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग